निर्णय बइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर. ए. एस.
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. 64/20 दावा
दायरा दिनांक :- 15.7.20
निर्णय दिनांक :- 17.12.21

उनवान

हेमन्त कुमार उर्फ नरेन्द्र पुत्र हेमराज जाति माली निवासी मेलखेड़ी तह. बारां

बनाम

1. अनोखबाई पत्नी स्व. हेमराज जाति माली निवासी मेलखेड़ी तह. बारां
2. विष्णु पुत्र स्व. हेमराज जाति माली निवासी मेलखेड़ी तह. बारां
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91 RTA

निर्णय दिनांक :- 17.12.21

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, 91 RTA विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्याया. में इस इस आशय का पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादी क्र 1व2 मेलखेड़ी के निवासी है ग्राम मेलखेड़ी तह. बारां में खाता सं. 379 के ख.नं. 114 रकबा 1.72 हे., ख.नं. 169 रकबा 0.16 हे. ख.नं. 238 रकबा 5.03 हे. स्थित है जिसमें प्रतिवादी क्र 1व2 तथा नरेन्द्र कुमार का 1/5 हिस्सा खातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद ग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जो वादी व प्रतिवादी क्र 2 के पिता एवं प्रतिवादी क्र. 1 के पति हेमराज की मृत्यु के बाद फौती इन्तकाल के जरिये दर्ज की गयी है परन्तु इन्तकाल खोलते समय वादी का नाम हेमन्तकुमार नहीं लिख कर बोलता नाम नरेन्द्र (नाबा.) पुत्र हेमराज दर्ज कर दिया एवं हेमराज के स्थान पर नरे[illegible] (नाबा.) पुत्र गण व अनोख बाई पत्नी स्व. हेमराज का नाम [illegible] वादी का घर नाम हेमन्त [illegible] कर दिया गया है, जिसे का घर पर बोलता नाम नरेन्द्र था एवं [illegible] घर पर नरेन्द्र [illegible] जाता है जबकि वादी के इस कारण नरेन्द्र अंकित कर दिया है जबकि वादी का नाम सभी सरकारी

उपखण्ड अधिकारी
बारां

लगातार - 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रिकार्ड व स्कूल में राशन कार्ड में, आधार कार्ड व पेन कार्ड आदि में सभी जगह हेमन्त कुमार पुत्र हेमराज है। यह कि कृषि भूमि में जमाबंदी में ही वादी का नाम हेमन्त कुमार की जगह नरेन्द्र कुमार दर्ज हो गया है जिसके कारण वादी को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है कृषि जिन्स को भी सरकार द्वारा तय कीमत पर सरकारी तोल कांटा पर नहीं बेच सकता, नुकसान होने पर कोई राशि भी वादी को प्राप्त नहीं हो सकती है क्योंकि उसका नाम सभी दस्तावेजों में हेमन्त कुमार है एवं जमाबंदी में नरेन्द्र कुमार है इस कारण वादी को भारी आर्थिक नुकसान व मानसिक संताप हो रहा है वादी जमीन पर लोन ऋण भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है इसलिए अब वादी का राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त कराकर नरेन्द्र कुमार की जगह हेमन्त कुमार दर्ज कराना — आवश्यक हो गया है जिसके लिए वादी घोषणा कराने व नाम दुरुस्त कराने का अधिकारी है इन्तकाल खोलते समय वादी नाबा० व नाम था तथा वादी की माता भी अनपढ़ महिला थी नासमझ थी इस कारण नासमझी व अज्ञानतावश बोलता नाम दर्ज हो गया जिसे दुरुस्त कराने का वादी अधिकारी है नाम दुरुस्त करने में सह खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं है एवं किसी भी व्यक्ति के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादी की ओर से अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु राज० सरकार जिला कलक्टर बारां को धारा 80 CPC का नोटिस मियादी दो माह दिनांक 26.9.2019 को दिया गया था जिसकी मियाद निकल चुकी है परन्तु सही नाम वादी का दर्ज नहीं करवाया गया है इसलिए नोटिस की मियाद दिनांक 26.11.19 को समाप्त होने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रति वादी गण को जरिये समन तलब किया जाकर गया। प्रति वादी क्र. 1 व 2 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ [illegible] पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी तथा गिरदावरी [illegible] 2071 [illegible] 379, फोटो प्रति आधार कार्ड हेमन्त कुमार, फोटो [illegible] की अंक तालिका, फोटो प्रति राशन कार्ड, फोटो प्रति पेन कार्ड पेश किया गया। साक्ष्य वादी में कैलाश चन्द, हेमन्त कुमार उर्फ नरेन्द्र का शपथ पत्र पेश हुआ — x — x —

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

लगातार - 3

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक अप्रार्थी पक्षकारान सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी मौजे ग्राम सेलखेड़ी में स्थित है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में नरेन्द्र कुमार दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम हेमन्त कुमार है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजात में हेमन्त कुमार दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में नरेन्द्र कुमार दर्ज कर दिया है वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ता है वादी के पिता हेमराज की मृत्यु के बाद नामान्तरण दर्ज करते समय वादी का नाम गांव के लोगों द्वारा घर के बोलते नाम से नामा. दर्ज कर दिया परन्तु वादी का सही नाम हेमन्त कुमार है वादी के अन्य सभी दस्तावेजात में हेमन्त कुमार दर्ज है वादी के नाम दुरुस्त करने में अन्य किसी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी का नाम नरेन्द्र के स्थान पर हेमन्त कुमार दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त नकल जमाबंदी ग्राम सेलखेड़ी संवत 2071-74 खाता नं. 379 के अनुसार वादी एवं अन्य वादी का नाम दर्ज है इसके अलावा कालूलाल पुत्र रतनलाल, पुष्पाबाई पत्नी रतनलाल, मालतीबाई पुत्री, हरिशचन्द पुत्र रतनलाल का नाम शामलाती खातेदारी मे दर्ज है जबकि द्वारा उक्त आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, कक्षा आठ की अंक तालिका, मूल पहचान पत्र में हेमन्त कुमार दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हेमन्त कुमार का नाम दर्ज नहीं है नरेन्द्र कुमार का नाम दर्ज रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में यह बताया है कि वादी के पिता हेमराज की मृत्यु के बाद घर के बोलते नाम से [illegible] नरेन्द्र नाम दर्ज कर दिया है जबकि वादी [illegible] होना बताया है वादीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] के लिए धारा 88.89.91 RTA के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया है वादी का नाम गलती नामा. बोलते नाम गलत दर्ज किया गया है वादी को असल नाम को दुरुस्त कराने हेतु

लगातार-4

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नामा० की तामील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो वादी द्वारा नहीं की गई है वादी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत / घोषणा का पेश किया है ना की नाम दुरुस्ती का / नाम दुरुस्ती के लिए धारा 136 LR Act व नामा० की तामील प्रस्तुत करनी चाहिये थी। वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है व तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प० निर्णय लिखाया जाकर दर इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 16:45:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner